राजस्थान–सरकार

तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर

क्रमांक : एफ7(3–डी)तशिनि/ई–1/सी–2/362-369 दिनांक :– 11/01/2024

:: कार्यालय–आदेश :: (संख्या...99...)

श्री संजय गोयल, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, अजमेर का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 28.06.2023 को निधन हो जाने के फलस्वरूप इनकी पुत्री सुश्री शताक्षी गायेल जन्म तिथि 30.09.2003 (तीस सितम्बर दो हजार तीन) सामान्य श्रेणी को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–1996 के प्रावधानानुसार राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, सीकर में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर कार्यग्रहण करने की तिथी से दो वर्ष की परिवीक्षा के अधीन कार्मिक (क–2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 7(2) डीओपी/ए–।।/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग, जयपुर की अधिसूचना एफ 15(1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 राजस्थान सिविल सर्विस (रिवाईज्ड–पे) नियम, 2017 सैड्यूल–4 (नियम 16) के अनुसार एक मुश्त रूपये 14600/– (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ मात्र) प्रति माह पर निम्न शर्तो के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. उक्त नियमों के नियम 9 (i) के अनुसार संबंधित सेंवा नियम में अंकित यथाविहित कम्प्यूटर योग्यता परीवीक्षाकाल में उत्तीर्ण करनी होगी, इसमें विफल होने पर परीवीक्षा को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी का कार्य पूर्णतः असंतोषजनक पाये जाने पर सेवाओं को समाप्त न कर दें।
2. उक्त नियमों के नियम 9 (ii) के अनुसार इन्हें तीन वर्ष के भीतर भाषा विभाग, जयपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्त्तीण करनी होगी अन्यथा उक्त नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक अर्हता अर्जित नहीं की जाती तब तक इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञेय नहीं होगी। ऐसी अर्हता अर्जित कर लेने पर इन्हें नियमानुसार देय वेतनवृद्धि परिवीक्षा काल समाप्त होने के पश्चात् की तिथि से वास्तविक/काल्पनिक रूप से अनुज्ञात की जायेगी, किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं की जायेगी।
3. उपरोक्त अभ्यर्थी को दिनांक 25.01.2024 तक अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
4. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
5. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
6. परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्मिक (क–2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना संख्या 7(2)डीओपी/ए–।।/2005 दिनांक 20.1.2006 एवं वित्त विभाग, जयपुर की अधिसूचना प.12(6)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.3.2006, प. 6(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.3.2006, प.1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.3.2006, प. 13(1) वित्त/ नियम/2003 दिनांक 13.3.2006, वित्त विभाग की अधिसूचना एफ15(1)एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 राजस्थान सिविल सर्विस (संशोधित वेतनमान्) नियम, 2017 के नियम 16 व परिशिष्ठ –4 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष भत्ता इत्यादि देय नहीं होगें।
7. परीवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
8. उक्त नियमों के नियम एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–5(51)डीओपी/ए–।। दिनांक 27.02.2001 के प्रावधानानुसार अभ्यर्थी द्वारा मृतक के अन्य आश्रितों के भरण–पोषण न करने पर आवश्यक कार्यवाही पश्चात इनकी नियुक्ति समाप्ति के अध्याधीन होगी।